कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 14618 /जी–66 / 2016–17 / अधि0 दिनांक : 24 दिसम्बर,2016

संशोधित विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1047 / चि0–1 2009–90 / 2007 दिनांक 19 अगस्त, 2009 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009 एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या–1125 / XXXX / 2010–90 / 2010 दिनांक 25 नवम्बर,2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निहित प्राविधानों के अनुसार शासनादेश संख्या–1877 / XXXX / 2016–218 / 2005 / टी0सी0 । दिनांक 21 अक्टूबर,2016 के द्वारा राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में संचालित आयुष विंगों तथा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों के (वेतन बैण्ड–2, रू0 9300–34800, ग्रेड वेतन 4200) में रिक्त कुल 102 पदों निम्नानुसार नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निम्न निर्धारित प्रारूप पर आमंत्रित किये जाते है, पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है–

आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों के रिक्त पदों पर रोस्टर के अनुसार आरक्षण का विवरण :–

आरक्षण	रिक्त पदों की संख्या	महिला (30 प्रतिशत)	विकलांग (03 प्रतिशत)	भूत पूर्व सैनिक (05 प्रतिशत)	स्व0 सै0 आश्रित (02 प्रतिशत)	ओपन कैटगिरी
अनु0 जाति	05	01	0	0	0	04
अनु0 जन जाति	01	0	0	0	0	01
अन्य पिछड़ा वर्ग	12	04	0	01	0	07
सामान्य	84	25	03	04	02	50
योग	**102**	**30**	**03**	**05**	**02**	**62**

(1) **आरक्षण–** उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(2) **अर्हतायें :–**

(अनिवार्य अर्हतायें)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद / उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान वर्ग में (बाईलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(ख) उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक या यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट)का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो और भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(अधिमानी अर्हताए)

(i) प्रादेशिक सेवा में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो या

(ii) नेशनल कैडिट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या

(iii) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

(3) उत्तराखण्ड राज्य में किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है।

(4) **आयु :–** दिनांक 01 जुलाई 2016 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्ग तथा अन्य ऐसी

श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, को शासकीय नियमों के अनुसार अधिकतम् आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

(5) **शुल्क** :– आवेदन पत्र के साथ सामान्य एवं पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू0 150/– तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रू0 75.00 का रेखांकित बैंक ड्राफ्ट जो **"निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड देहरादून"** के नाम से देहरादून में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

(6) **चयन प्रक्रिया** :– शासन द्वारा निर्गत, "उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली 2009" एवं उत्तराखण्ड शासन आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग की अधिसूचना संख्या–1125/XXXX/2010–90/2010 दिनांक 25 नवम्बर,2010 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली 2010 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार चयन, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष वार योग्यता क्रम (मैरिट) के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

(7) **आवेदन पत्र जमा करने की तिथि** :– निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र **"निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, निकट आईटी पार्क, देहरादून"** के कार्यालय में दिनांक 20 जनवरी,2017 को सायं 5:00 बजे तक प्राप्त किया जायेगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् डाक वितरण में विलम्ब या किसी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट– निदेशालय के पत्र संखया 14332/जी–66/2016–17अधि0 दिनांक 23.12.2016 के द्वारा विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया है कि ''जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या 8950/जी–66/2016–17/अधि0 दिनांक 13.09.2016 के कम में आवेदन किया गया था। उन अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।'' के निम्नानुसार संशोधित किया जाता है।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या 8950/जी–66/2016–17/अधि0 दिनांक 13.09.2016 के कम में आवेदन किया गया था, उन अभ्यर्थिया को भी पुनः आवेदन पत्र भरकर निदेशालय मे उल्लिखित शर्तो के अनुसार प्रेषित करना होगा।

(8) **अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ निम्न प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करना भी अनिवार्य है–**

1. आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत)।
2. हाई–स्कूल/इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
3. भैषजिक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण का प्रमाण–पत्र एवं अंक–तालिका।
4. भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
5. मूल–निवास प्रमाण–पत्र।
6. उत्तराखण्ड राज्य के रोजगार/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
7. चरित्र प्रमाण–पत्र–2 (राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त)।
8. निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में।
9. स्वयं पता लिखा 23X10 से0मी0 के दो लिफाफे जिनमें पंजीकृत डाक टिकट लगे हों।
10. अन्य योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो।

(डा0 पी0डी0 चमोली)
अपर निदेशक